रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092021-229517
CG-DL-E-09092021-229517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3352] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2021/भाद्र 18, 1943
No. 3352] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2021/BHADRA 18, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2021

सं. 24/2015–2020

विषय : आईटीसी एचएस कोड 28054000 के अन्तर्गत मर्करी की आयात नीति में संशोधन और आईटीसी (एचएस), अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 28 की नीतिगत शर्त संख्या–03 को सम्मिलित करना।

का.आ. 3657(अ).—समय–समय पर यथा–संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी एचएस कोड 28054000 के अन्तर्गत मर्करी की आयात नीति में संशोधन करती है और साथ ही आईटीसी एचएस वर्गीकरण (आयात नीति अनुसूची I) के अध्याय 28 में एक नई नीतिगत शर्त 3 को निम्नानुसार सम्मिलित करती है:

एक्जिम कोड	मद का विवरण	वर्तमान नीति	वर्तमान नीतिगत शर्त	संशोधित नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
28054000	मर्करी	मुक्त	.....	प्रतिबंधित	नीतिगत शर्त संख्या 3 के अध्यधीन

2. आईटीसी (एचएस), अनुसूची I (आयात नीति) के अध्याय 28 में एक नीतिगत शर्त संख्या 3 को जोड़ा गया है:

"मर्करी के आयात/निर्यात के मामले में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) में मिनामाता कन्वेंशन के राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट से मर्करी पर मिनामाता कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार एक पूर्व सूचित

सहमति (पीआईसी) प्रक्रिया प्राप्त की जाए। पूर्व सूचित सहमति की प्रक्रिया के विवरण को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइटः http://moef.gov.in/(Divisions->Environment Divisions->Hazardous Substance Management Division->Import/Export) पर देखा जा सकता है।''

अधिसूचना का प्रभावः पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व सूचित सहमति प्राप्त करने के अध्यधीन मर्करी की आयात नीति को 'मुक्त' से संशोधित कर 'प्रतिबंधित' किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/38/एएम–12/पीसी–2(ए)/ई–26617]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2021

No. 24 /2015-2020

Subject : Amendment in Import Policy of Mercury under ITC HS Code 28054000 and insertion of Policy Condition No. 03 in Chapter 28 of ITC(HS), Schedule I(Import Policy).

S.O. 3657(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy of Mercury under ITC HS Code 28054000 and also inserts a new Policy Condition 3 in Chapter 28 of ITC HS classification (Import Policy Schedule I) as under:

Exim Code	**Item Description**	**Present Policy**	**Existing Policy Condition**	**Revised Policy**	**Revised Policy Condition**
28054000	Mercury	Free	--	Restricted	Subject to Policy Condition No. 3

2. A Policy Condition No. 03 is added in the Chapter-28 of ITC(HS), Schedule I (Import Policy):

"A Prior Informed Consent (PIC) procedure as per the provisions of the Minamata Convention on mercury is to be obtained from the National Focal Point of Minamata Convention in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) in case of import/export of mercury. Details of PIC procedure can be accessed from the website of MoEF&CC: http://moef.gov.in/ (Divisions -> Environment Divisions-> Hazardous Substance Management Division -> Import/Export)"

Effect of the Notification: Import policy of Mercury has been revised from 'Free' to 'Restricted' subject to obtaining Prior Informed Consent from MoEF&CC.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/38/AM-12/PC-2(A)/E-26617]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.09 21:46:40 +05'30'